न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सिवाना

प्रकरण संख्याः— 34/2020

प्रार्थीः—

1. सुनिल परिहार पुत्र जगदीशसिंहजी जाति माली निवासी जोधपुर के खा.मु. सुरेश कुमार पुत्र सावलरामजी माली निवासी सिवाना
2. कानाराम पुत्र राणारामजी रबारी निवासी सिवाना के खा.मु. अर्जुनराम पुत्र कानारामजी निवासी सिवाना
3. नत्थू खां पुत्र सायरखांजी कोटवाल जाति मुसलमान निवासी सिवाना
4. सरदारखां पुत्र सायरखांजी कोटवाल जाति मुसलमान निवासी सिवाना
5. सुकी पत्नी सायरखांजी कोटवाल जाति मुसलमान निवासी सिवाना
6. परबतसिंह पुत्र नगसिंहजी कोटवाल जाति मुसलमान निवासी सिवाना
7. अशोक कुमार पुत्र घेवरचन्दजी घांची निवासी सिवाना
8. पारसमल पुत्र घेवरचन्दजी घांची निवासी सिवाना
9. लक्ष्मण पुत्र माणकचन्द घांची निवासी सिवाना
10. श्रणव पुत्र माणकचन्द घांची निवासी सिवाना
11. जडावदेवी पत्नी माणकचन्द घांची निवासी सिवाना
12. सुमेरमल पुत्र घेवरचन्द जाति घांची निवासी सिवाना
13. सोनाराम पुत्र घेरवरचन्द जाति घांची निवासी सिवाना
14. उकी पत्नी घेरवरचन्द जाति घांची निवासी सिवाना
15. आईदानराम पुत्र कपुरारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
16. ओमाराम पुत्र कपुरारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
17. मुकेश पुत्र पोलाराम जाति घांची निवासी सिवाना
18. शान्तीदेवी पत्नी पोलाराम जाति घांची निवासी सिवाना
19. बाबुलाल पुत्र कपुरारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
20. हडमानाराम पुत्र कपुरारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
21. सीता पत्नि कपूरारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
22. उतमाराम पुत्र मोहनलालजी जाति घांची निवासी सिवाना
23. दीपाराम पुत्र मोहनलालजी जाति घांची निवासी सिवाना
24. सुरेश कुमार पुत्र मोहनलालजी जाति घांची निवासी सिवाना
25. लीलादेवी पुत्री मोहनलालजी जाति घांची निवासी सिवाना
26. सन्तोषददेवी पुत्री मोहनलालजी जाति घांची निवासी सिवाना
27. हुवाडी पत्नी मोहनलालजी जाति घांची निवासी सिवाना
28. कालूराम पुत्र चेनाराम जाति घांची निवासी सिवाना
29. अशोक कुमार पुत्र चेनारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
30. गणपतलाल पुत्र चेनारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
31. तेजाराम पुत्र धर्मारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
32. पारसमल पुत्र धर्मारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
33. कमलेश पुत्र धर्मारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
34. पांचीदेवी पत्नी धर्मारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
35. जोगाराम पुत्र गोवि[illegible] जाति घांची निवासी सिवाना
36. भोमाराम पुत्र प्रभूरामजी जाति घांची निवासी सिवाना
37. हुकमाराम पुत्र प्रभूरामजी जाति घांची निवासी सिवाना
38. उकाराम पुत्र मिश्रारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
39. कालूराम पुत्र मिश्रारामजी जाति घांची निवासी सिवाना
40. जवेरीलाल पुत्र मिश्रारामजी जाति घांची निवासी सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 14:50:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. ग्राम पंचायत सिवाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना
2. भंवरकंवर पत्नी हमीरसिंहजी खीची जाति राजपूत निवासी सिवाना
3. जबरसिंह पुत्र जयसिंहजी जाति राजपूत निवासी सिवाना
4. नारायणसिंह पुत्र जयसिंहजी जाति राजपूत निवासी सिवाना
5. सुमेरसिंह पुत्र जयसिंहजी जाति राजपूत निवासी सिवाना
6. मनोहरकंवर पत्नी सुमेरसिंहजी जाति राजपूत निवासी सिवाना
7. मंगलाराम पुत्र दोलारामजी जाति रबारी निवासी सिवाना
8. मांगाराम पुत्र भारताजी जाति रबारी निवासी सिवाना
9. रतनाराम पुत्र भारतजी जाति रबारी निवासी सिवाना
10. खेतसिंह पुत्र लालसिंह जाति रबारी निवासी सिवाना
11. गडूकाराम पुत्र हडमानारामजी जाति रबारी निवासी सिवाना
12. जामताराम पुत्र राणारामजी जाति रबारी निवासी सिवाना
13. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा सिवाना
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम
कायम करवाने बाबत् रास्ता

उपस्थित :– 1. श्री पूनमचन्द रामदेव
2. विप्रार्थीगण इकबाली जबाब

–: आदेश :–

दिनांक :–22.01.2021

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 251 क के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 765/20,21,19,757/23, सरहद मौजा पीपलून पटवार क्षेत्र गोलिया में तथा खसरा संख्या 2876/1899, 2873/1211,2872/1213,2682/1214 सरहद मौजा सिवाना पटवार क्षेत्र सिवाना में आई हुई है। प्रार्थीगण के आवगमन का आवेदित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के आवागमन हेतु गुडा डायवर्जन वांध फीडर से जो मेली बांध के लिये नहर चलती है इस के बदिशा पश्चिम नहर के सहारे सहारे संलग्न परिशिष्ट "ख" अनुसार सरहद मौजा ग्राम पीपलून पट[illegible] [illegible]लिया के खेत खसरा संख्या 17 व खसरा संख्या 757/23 [illegible] [illegible]0/18 व 758/23 तक संयुक्त माठ माठ तक [illegible] [illegible] की माठ से इसी खसरा संख्या 22 में खसरा नम्बर 758/23 की [illegible] को छोडते हुए खसरा संख्या 22 में चलता है जो आगे खसरा संख्या 21 में खसरा नम्बर 22 के लिये खसरा में प्रवेश होने के बाद खसरा नम्बर 22 की हद से 20 फीट तक जाकर खसरा नवर 22 मे चलता हुआ गुडा डायवर्जन वांध तक जाता है तथा आगे सरहद मौजा सिवाना की

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:37 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि में खसरा संख्या 2879/1898, 2876/1899, 2873/1211, 1224,1212,2876/1899,2872/1213,2681/1214,2682/1214, 2676/120 तक जाता है जो आगे खसरा संख्या 1201 गै.मु. गोचर में से होते हुए आगे राजस्व कटाण मार्ग सिवाना से पादरू जाने वाली मुख्य डामर से लगता है। प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ठ "ख" के अलावा प्रार्थीगण को कृषि कार्य हेतु आवगमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी की गई।

विप्रार्थीगण द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित करने हेतु सहमति व स्वीकृति प्रदान की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर फर्द मौका पत्रांक राजस्व/2021/50 दिनांक 22.01.2021 को प्रेषित जो शामिल पत्रावली की गई । तहसीलदार सिवाना द्वारा पक्षकारान के खेत खसरा संख्या 19, 21, 760/18, 17,757/23,758/23,22, सरहद मौजा पीपलून पटवार मण्डल गोलिया व खेत खसरा सख्या 2879/1898 ,2876/1899, 2873/1211, 1224, 1212, 2872/1213, 2673/1203, 2681/1214,2682/1214 सरहद मौजा सिवाना पटवार क्षेत्र सिवाना में आवगमन हेतु चाहा रास्ता एक मात्र नजदीकी रास्ता बताया गया। मौका फर्द पर पक्षकरान द्वारा बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई ।

हमने प्रार्थीगण वकील की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। दौराने बहस प्रार्थी वकील ने निवेदन किया उक्त रास्ता घोषित करने बाबत सहमति व स्वीकृति जाहिर कर इकबाली जवाब प्रस्तुत कर बिना किसी प्रतिफल के पक्षकारान द्वारा चाहे गये रास्ते को घोषित करवाने हेतु सहमति दी है। जो तस्दीक सुदा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर संलग्न तहसलीदार सिवाना का मौका फर्द का गहनता से अध्ययन व मनन किया । पक्षकारन के अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए [illegible] सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रा.का.अ. [illegible] जाकर खेत खसरा संख्या 19,21,760/18,17,757/23,758/23,22, [illegible] मौजा पीपलून पटवार मण्डल गोलिया व खेत खसरा सख्या 28[illegible]/1898 ,2876/1899, 2873/1211, 1224,1212,2872/1213,2673/1203,2681/1214,2682/1214 सरहद मौजा सिवाना पटवार क्षेत्र सिवाना में कृषि कार्य के लिये आवगमन हेतु पक्षकारान द्वारा चाहे गये रास्ते में खसरा संख्या 1201 किस्म गै.मु.गोचर को छोडते हुए तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 16:59:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा किश्तवार अनुसार बरंग गुलाबी माप 2 गट्ठा चौडा रास्ता घोषित किये जाने के आदेश दिया जाता है। पक्षकारान को प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

उक्त नया 2 गट्ठा के रास्ता में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृत निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज होगी।

प्रार्थी को इस प्रकार दर्ज 2 गट्ठा चौडे भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगे। तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2021/ 50 दिनांक 22.01.2021 द्वारा प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो। चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता जरिये सहमति व स्वीकृति बिना प्रतिफल के विप्रार्थीगण देने हेतु तैयार है इसलिए विप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में घोषित भूमि के एवज में किसी प्रकार का प्रतिफल देय नही होगा।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 22.01.2021 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:37 IST
Reason: SelfAttested